

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

लीलाघर

बनाम

सोहनलाल आदि

किस्म मुकदमा:-प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11-14

प्रकरण सं.- 25/2019

जीसीएमएस न0 2019/00044

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हए
10-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपरिथत। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस फार्म न0 3 के साथ इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 32/2022 अनवान देवीलाल बनाम सोहनलाल आदि अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2024 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रा.पत्र में अंकित भूमि के सम्बंध में अन्य व्यक्ति द्वारा अपील संख्या 32/2022 इस न्यायालय में पेश की गई थी जिसमें निर्णय पारित करते हुए अपील निरस्त फरमाई गई थी। चूंकि जब इसी न्यायालय में इसी भूमि के सम्बंध में पूर्व में वाद का निस्तारण किया जा चुका है तो अब इसी न्यायालय में हस्तगत प्रकरण विचारण योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे।</p> <p>पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से पाया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सम्बंध में एक अन्य प्रकरण अपील संख्या 32/2022 अनवान देवीलाल बनाम सोहनलाल आदि अंतर्गत धारा 75 भू इस न्यायालय में पेश की गई थी जिसमें दिनांक 08.7.2024 को निर्णय पारित कर अपील अपीलांट खारिज की जा चुकी है। अब प्रार्थी द्वारा उसी भूमि के संबंध में हस्तगत प्रकरण पेश कर अनतोष चाहा गया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधानों के विपरीत है अतः प्रकरण res judicata (पूर्वन्याय) से प्रभावित होने के कारण निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ (जिला-श्री गंगानगर)